



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 42
26 कार्तिक 1943 (श०)
पटना, बुधवार, —————
17 नवम्बर 2021 (ई०)

विषय-सूची		पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-25	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	26-26	
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9-विज्ञापन	---	
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---	
पूरक	---	
पूरक-क	---	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

1 नवम्बर 2021

सं० 6/अनु० 27-01/2021-2224—63वीं सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर वाणिज्य-कर विभाग, की अधिसूचना संख्या 950 दिनांक 04.06.2020 के आलोक में बिहार वित्त सेवा में नियुक्त निम्नलिखित वाणिज्य-कर पदाधिकारी सम्प्रति राज्य-कर सहायक आयुक्त (परीक्ष्यमान) को उनके अभ्यावेदन के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित (64वीं) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार पुलिस सेवा में चयनित होने के उपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 7912 दिनांक 06.10.2021 के अलोक में बिहार पुलिस सेवा के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन स्तर-9 (रु० 53,100-1,67,800) में परीक्ष्यमान पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान करने हेतु बिहार वित्त सेवा के वर्तमान पद (राज्य-कर सहायक आयुक्त) से अधिसूचना निर्गमन की तिथि से विरमित किया जाता है।

क्रम सं०	नाम	जन्म तिथि	बिहार वित्त सेवा में योगदान की तिथि
1	श्रीमती चौदनी सुमन, राज्य-कर सहायक आयुक्त, गाँधी मैदान, अंचल, पटना।	29.09.1994	13.06.2020
2	श्रीमती अनु कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पटना पश्चिमी प्रमंडल, पटना।	17.09.1989	03.07.2020

- विरमन के पश्चात बिहार वित्त सेवा में भविष्य में इनका कोई दावा विचारणीय नहीं होगा।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

30 अक्तूबर 2021

सं० 6/गो०-34-05/2016-2222/वा०कर—श्री क्षितिज कुमार सिंह, राज्य-कर सहायक आयुक्त, कटिहार अंचल, कटिहार को अगले आदेश तक कार्य हित में वसूली कोषांग केन्द्रीय प्रमंडल, पटना के पद पर में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

20 अक्तूबर 2021

सं० 6/गो०-34-03/2016(खण्ड-1)—2115/वा०कर—सुश्री अनिशा (63वीं बैच), राज्य-कर सहायक आयुक्त को विभागीय अधिसूचना संख्या-6/गो०-34-01/2021-1088 दिनांक 30.06.2021 द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना में पदस्थापित करते हुये अन्वेषण ब्यूरो, पश्चिमी प्रमंडल, पटना में प्रतिनियुक्त किया गया था। उक्त प्रतिनियुक्ति को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से समाप्त किया जाता है।

सं० 6/गो०-34-03/2016(खण्ड-1)—/वा०कर—सुश्री ऋचांशा ऋजु, (63वीं बैच), राज्य-कर सहायक आयुक्त को विभागीय अधिसूचना संख्या-6/गो०-34-01/2021-1088 दिनांक 30.06.2021 द्वारा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटना में पदस्थापित करते हुये वाणिज्य-कर विभाग, मुख्यालय, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त किया गया था। उक्त प्रतिनियुक्ति को अधिसूचना निर्गमन की तिथि से समाप्त किया जाता है।

- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार मिश्रा, विशेष सचिव।

8 अक्टूबर 2021

सं० 6/प्र०-06-01/2015-2098-वा०कर-वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-18/2009-7566, दिनांक-14.07.2010 के द्वारा दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से लागू रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) के अधीन बिहार वित्त सेवा के 05 (पाँच) पदाधिकारियों को 20 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित तिथि से द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) के अन्तर्गत वेतनमान् रू० 15,600-39,100 ग्रेड-पे 6600/- से उच्चतर वेतनमान् रू० 15,600-39,100 ग्रेड-पे 7600/- की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	पदाधिकारियों का नाम/ वर्तमान पदस्थापन	सेवा में प्रथम योगदान की तिथि	द्वितीय एम०ए०सी०पी० की देय तिथि
1	2	3	4
1	श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, तत्कालीन बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी सम्प्रति (भा०प्र०से०) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	04.07.1989	04.07.2009
2	श्री अरूण कुमार मिश्रा, तत्कालीन बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी सम्प्रति (भा०प्र०से०), विशेष सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना।	13.07.1990	13.07.2010
3	श्री अजय कुमार, सेवानिवृत्त वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त,	28.07.1989	28.07.2009
4	श्री ध्रुव कुमार मिश्र, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, भभुआ अंचल, भभुआ सम्प्रति राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, मुजफ्फरपुर पश्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर।	26.05.1992	26.05.2012
5	श्रीमती सरिता सिन्हा, भूतपूर्व राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, (मृत्यु की तिथि-27.04.2021)	14.05.1992	14.05.2012

2. इस वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप उक्त पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3ए-2-वे०पु०-18/2009-7566 दिनांक 14.07.2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

3. उपर्युक्त किसी भी पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारी को प्रदत्त वित्तीय उन्नयन के लाभ से संबंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

28 अक्टूबर 2021

सं० भा०व०से०(स्था०)-12/2019-4062/प०व०-श्री आशुतोष, भा०व०से०, (BH:1988), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना को भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अधीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक के Apex Scale (वेतन स्तर-17) में तत्काल प्रभाव से प्रोन्नति देते हुए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री आशुतोष, भा०व०से०, अगले आदेश तक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुबोध कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं

3 नवम्बर 2021

सं० 1/एल1-10-03/2009-गृ०आ०-8834—श्री जितेन्द्र कुमार, भा०पु०से० (1993), अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-5804, दिनांक 11.08.2021 द्वारा स्वीकृत उपार्जित अवकाश दिनांक-09.08.2021 से 07.09.2021 तक को दिनांक 24.09.2021 तक (दिनांक-25/26.09.2021 को Suffix सहित) विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

3 नवम्बर 2021

सं० 1/एल1-10-04/2012-गृ०आ०-8836—श्रीमती शोभा ओहटकर, भा०पु०से० (1990), महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना 7947, दिनांक-07.10.2021 द्वारा स्वीकृत उपार्जित अवकाश दिनांक-25.09.2021 से 03.10.2021 तक को दिनांक-08.10.2021 तक विस्तारित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

3 नवम्बर 2021

सं० 1/एल1-10-05/2020-गृ०आ०-8835—श्री आर० एस० भट्टी, भा०पु०से० (1990), तत्कालीन पुलिस महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, बिहार, पटना सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-12(3) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-7123, दिनांक-15.09.2021 द्वारा दिनांक-06.09.2021 से 07.09.2021 तक 02 (दो) दिनों के स्वीकृत अर्द्धवैतनिक अवकाश को दिनांक 10.09.2021 तक (दिनांक 11.09.2021 को Suffix सहित) विस्तारित करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० सैथिल कुमार, सचिव।

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

29 अक्टूबर 2021

सं० 8/नि.को.(रा.)परि.-214/2019-3151—श्री संदीप कुमार ठाकुर, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., नवादा सम्प्रति अन्य मामले (ट्रैप केस) में सेवानिवृत्त के विरुद्ध बैंक द्वारा संचालित दैनिक जमा योजना में मो० जावेद द्वारा किये गये अनियमितता से संबंधित मामले में शिथिलता बरतने के आरोप में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2584 दिनांक-18.07.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें जाँच आयुक्त-सह-सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच आयुक्त-सह-सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-04.08.2020 को आरोप को पूर्णतः प्रमाणित करते हुए जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। विभागीय पत्रांक-2374 दिनांक-21.09.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन/अधिगम की छायाप्रति आरोपी पदाधिकारी को भेजते हुए उनसे जाँच प्रतिवेदन के आलोक में लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। तदनुसार विभागीय पत्रांक-464 दिनांक-17.02.2021 द्वारा आरोपी पदाधिकारी को एक और मौका देते हुए सिर्फ आरोप के संबंध में अपना बचाव बयान/पक्ष विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया लेकिन उनके द्वारा आरोप के संबंध में कुछ नहीं कहा गया।

संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन/अधिगम एवं आरोपी पदाधिकारी द्वारा विभाग के समक्ष आरोप के संबंध में कोई तथ्य नहीं रखने के फलस्वरूप समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1446 दिनांक-02.06.2021 द्वारा श्री संदीप कुमार ठाकुर, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, नवादा सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14 के लघु शास्तियों के तहत निन्दन के साथ एक वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड संसूचित किया गया।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा उठायी गयी कठिनाईयों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परामर्श/मंतव्य के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-28 में विहित प्रावधानों के आलोक में मामले की पुनर्समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री ठाकुर को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-1446 दिनांक-02.06.2021 द्वारा संसूचित दंडादेश को इस हद तक संशोधित करते हुए बिहार

सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14(1) के तहत निन्दन का दण्ड संसूचित किया जाता है। आरोप वर्ष 2005-2009 (17.06.2005-11.06.2009) है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
ऋचा कमल, उप-सचिव।

**समाहरणालय, रोहतास (सासाराम)
(स्थापना शाखा)**

आदेश

29 मई 2021

सं० 16/21-22-683—प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज के पत्र संख्या-289, दिनांक 06.03.2013 एवं 05 (मु०), दिनांक 10.04.2013 द्वारा सूचित किया गया है कि उनके ज्ञाप संख्या- 100, दिनांक 31.01.2013 द्वारा श्री मनोज कुमार को नजारात का प्रभार श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक को सौंपने का आदेश दिया गया था, परंतु उनके द्वारा कई स्मार एवं स्पष्टीकरण पूछे जाने के बावजूद मात्र चेक बुक का प्रभार श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह को सौंपा गया। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा पूर्व के रोकड़ पंजी अद्यतन कर मांग करने पर उसका भी अनुपालन श्री सिंह, के द्वारा नहीं किया गया एवं उनके द्वारा गलत अभिश्रव बनाकर उस पर हस्ताक्षर करने का दबाव प्रखंड विकास पदाधिकारी पर बनाया जा रहा है।

अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज के पत्र संख्या-681, दिनांक 26.04.2013 द्वारा सूचित किया गया है कि उन्हे प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा दिनांक 25.04.2013 को 02:00 बजे अपराहन में दूरभाष पर सूचना दी गयी कि श्री मनोज कुमार द्वारा उनके साथ मारपीट की गयी है एवं अभद्र व्यवहार किया गया है, जिसकी जाँच उनके द्वारा श्री पुरुषोत्तम सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज से कराये जाने पर इसे सही पाया गया।

इस प्रकार श्री मनोज कुमार द्वारा पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर मनमानी पूर्वक रवैया अपनाकर नजारात का सम्पूर्ण प्रभार नहीं सौंपा गया तथा उनके द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की गयी। उनका यह कृत्य सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है।

उक्त आरोप के आलोक में श्री मनोज कुमार, तत्कालिन लिपिक, अंचल कार्यालय, राजपुर प्रतिनियुक्त प्रखंड कार्यालय, बिक्रमगंज को इस कार्यालय के आदेश संख्या- 11/2013-14, संसूचित ज्ञापांक 418/स्था०, दिनांक 07.05.2013 से निलंबित किया गया। तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज को श्री कुमार, लिपिक के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित कर अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या- 576/स्थापना, दिनांक 04.06.2013 द्वारा श्री मनोज कुमार, लिपिक के विरुद्ध प्रपत्र 'क' साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज के पत्रांक 789, दिनांक 16.05.2013 द्वारा श्री मनोज कुमार, प्रतिनियुक्त लिपिक, प्रखंड नाजीर प्रखंड कार्यालय, बिक्रमगंज के विरुद्ध प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ, जिसमें त्रुटि रहने के कारण इसे इस कार्यालय के पत्र संख्या- 739/स्थापना, दिनांक 18.07.2013 से अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज को वापस किया गया। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज के पत्र संख्या- 1577, दिनांक 21.09.2013 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र- " क " प्रतिहस्ताक्षोपरान्त प्राप्त हुआ, जिसे अनुमोदित करते हुए इस कार्यालय के आदेश संख्या- 112/13-14, संसूचित ज्ञापांक 1136/स्था०, दिनांक 04.11.2013 के द्वारा श्री राम शंकर सिंह, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त कर विभागीय कार्यवाही संचालन करने हेतु भेजा गया।

श्री मनोज कुमार, लिपिक के अनुरोध के आलोक में इस कार्यालय के आदेश संख्या- 143/13-14, संसूचित ज्ञापांक 19/स्था०, दिनांक 08.01.2014 से श्री कुमार को निलंबन से मुक्त करते हुए अंचल कार्यालय, नौहट्टा में पदस्थापित किया गया। निलंबन अवधि के वेतनादि की निकासी के संबंध में विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के पश्चात उसके फलाफल पर विचार किया जायेगा।

पुनः अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज के पत्र संख्या- 1374, दिनांक 21.10.2016 से पूरक आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित कर भेजा गया, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 1056/स्थापना, दिनांक 06.12.2016 से अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, रोहतास, सासाराम को श्री मनोज कुमार, लिपिक के विरुद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही में सम्मिलित कर बिहार सरकारी सेवक (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत नियमों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए मंतव्य के साथ अभिलेख भेजने का निदेश दिया गया।

अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच) -सह- संचालन पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के पश्चात पत्र संख्या- 34/वि० जाँच, दिनांक 15.06.2018 से मंतव्य प्राप्त हुआ। श्री मनोज कुमार, तत्कालिन लिपिक प्रखंड कार्यालय, राजपुर प्रतिनियुक्त प्रखंड कार्यालय, बिक्रमगंज सम्प्रति प्रखंड कार्यालय, रोहतास के विरुद्ध गठित आरोप, आरोपी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकार का मंतव्य का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र०	आरोप का विवरण	आरोपी का जबाब/स्पष्टीकरण	संचालन पदाधिकारी का मंतव्य
1	2	3	4
1	प्रखण्ड कार्यालय, बिक्रमगंज से संबंधी आरोप का विवरण :- नियंत्री पदाधिकारी के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार :- दिनांक 25.04.2013 को	प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज का आरोप निराधार एवं बेबुनियाद है। चुकि प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज का पत्रांक 493, दिनांक 25.04.13 एवं 499, दिनांक 27.	विभागीय कार्यवाही वाद संख्या 13/2013 श्री मनोज कुमार, लिपिक प्रखण्ड कार्यालय, राजपुर प्रतिनियुक्त प्रखण्ड कार्यालय,

उपस्थिति बनाकर कार्यालय से अनुपस्थित पाये जाने के फलस्वरूप स्पष्टीकरण की माँग की गयी। आप स्पष्टीकरण पत्र लेकर नियंत्री पदाधिकारी के कक्ष में आये तथा अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए पत्र को फाड़ दिया, बैठकर शांति से बात करने के लिए कहे जाने पर और अधिक भड़क उठे एवं घुस्सा एवं फैंट से मारने लगे। अचानक प्रहार से नियंत्री पदाधिकारी बुरी तरह से घायल हो गये। नियंत्री पदाधिकारी किसी प्रकार भाग कर अपनी जान बचाये तथा ईलाज कराने चिकित्सक के यहाँ पहुँचे। ईलाज के पश्चात चिकित्सक से ईन्ज्युरी रिपोर्ट लेकर बिक्रमगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। बिक्रमगंज थाना द्वारा प्राथमिकी संख्या 91/13 दिनांक 25.04.2013 भा0द0वि0 की धारा 147, 341, 323, 353, 333 प्रारम्भ की गयी है। आप उसी दिन (25.04.2013) से फरार हैं। नजारात का कार्य बुरी तरह से बाधित है। यह कृत उदंडता एवं अपराधिक प्रवृत्ति का द्योतक है।	04.13 न तो मेरे नाम से संबोधित है और नहीं प्र0कार्या0 से प्राप्त था। यदि कोई स्पष्टीकरण से संबंधित पत्र उनके द्वारा निर्गत की गयी है तो उनसे पावती रसीद के साथ पत्र की प्रति मांग कर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। प्र0 वि0 पदा0, बिक्रमगंज का पत्रांक 487, दिनांक 25.04.13 जिसके द्वारा 25.04.13 को उपस्थिति दर्ज कर वगैर अनुमति प्राप्त किए कार्यालय छोड़ने के आरोप में स्पष्टीकरण देने के संबंध में है। वह भी आज तक हमें अप्राप्त है। जिसकी पावती रसीद की मांग की जा सकती है। जब स्पष्टीकरण प्राप्त ही नहीं था, तो उनके द्वारा स्पष्टीकरण दिए गए पत्र को उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में जा कर फाड़ने और उनके साथ मार-पीट करने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप उनके द्वारा लगाना सत्य से परे एवं निराधार है। वास्तविकता यह है कि दिनांक 25.04.13 को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुँच कर उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर की गयी थी, लगभग 11:00 बजे पूर्वाह्न श्री हरिशंकर प्रसाद, प्रधान लिपिक को मौखिक रूप से सूचना देकर अनु0कार्या0, बिक्रमगंज कार्यवश गया था। कार्यपालक दंडाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर लगभग 12:00 बजे कार्यालय आ गया था। प्रखंड कार्यालय आने पर प्र0वि0पदा0 द्वारा अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बुलाया गया और अकारण मेरे साथ गाली गलौज तथा असंसदीय भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया जाने लगा। उक्त समय में प्र0वि0पदा0 के साथ बराबर घुमने वाले राजेश पासवान एवं अन्य लोग जिसे मैं पहचानता नहीं हूँ, मौजूद थे। उनके व्यवहार से क्षुब्ध हो कर मेरे द्वारा गाली-गलौज एवं असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए आग्रह किया गया तो वे और अधिक क्रोधित होकर मेरे साथ लप्पड़-थप्पड़, फाईट-मुक्के एवं बेल्ट से प्रहार करने लगे तो मैं पाया कि वे शराब पीकर नशे में हैं। वे हमेशा शराब पीकर ही कार्यालय में आते थे। इस लिए मैं वहाँ से हट कर अपने नजारात शाखा में चला गया। नजारात शाखा में भी जाकर उनके द्वारा मेरे साथ लप्पड़-थप्पड़, फाईट-मुक्के एवं बेल्ट से प्रहार किया गया और मेरे पैकेट से 2000 (दो हजार) रु0 निकाल लिया गया। प्र0वि0पदा0 शारीरिक रूप	बिक्रमगंज के विरुद्ध गठित आरोप पत्र “प्रपत्र क” में लगाये गये आरोपों के संबंध में आरोपी से जवाब/स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी, जो प्राप्त है। आरोपी के स्पष्टीकरण पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-उप स्थापन पदाधिकारी, बिक्रमगंज से भी मंतव्य की माँग की गयी थी, जो प्राप्त है। प्राप्त मंतव्य एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है की आरोपी पर आदेश का अवहेलना कर नजारात का सम्पूर्ण पभार नहीं सौंपने, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं मारपीट करने के आरोप में निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध “प्रपत्र क” गठित कर विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। आरोप एवं मंतव्य निम्न प्रकार है :- आरोप सं0 1 :- नियंत्री पदाधिकारी के साथ मारपीट एवं दुर्यवहार :- आरोपी का अपने जवाब/स्पष्टीकरण में कथन है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज का आरोप निराधार एवं बेबुनियाद है। वास्तविकता यह है कि दिनांक 25.04.2013 को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुँच कर उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर की गई थी। लगभग 11:00 बजे पूर्वाह्न में प्रधान लिपिक को मौखिक रूप से सूचना देकर अनुमंडल कार्यालय, बिक्रमगंज कार्यवश गया था। कार्यपालक दंडाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर लगभग 12:00 बजे कार्यालय आ गया था। कार्यालय आने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने मुझे अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बुलाया और अकारण मेरे साथ गाली-गलौज तथा असंसदीय भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया। मेरे द्वारा गाली-गलौज तथा असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करने का अनुरोध किया गया तो और क्रोधित होकर मेरे पैकेट से 2000.00 (दो हजार) रुपया निकाल लिया गया। मैं वहाँ से भागकर चिकित्सक से ईलाज
--	---	---

	से भी मुझसे अधिक शक्तिशाली एवं बलवान है। मैं अपने मोबाईल से लगभग 01:00 बजे अनु०पदा०, बिक्रमगंज को सूचित किया। मैं घायल अवस्था में नजारत बन्द कर डाला एवं किसी प्रकार भाग कर अपनी जान बचाये तथा चिकित्सक से अपना इलाज कराया तथा अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज के यहाँ दिनांक 27.04.2013 को भा०द०वि० की धारा 120 (बी०) 323, 379 एवं 504 के तहत परिवाद संख्या 246/2013 प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज (श्री अरुण कुमार एवं श्री राजेश पासवान) के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जो निर्णयाधीन है। प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा दायर मुकदमा सं०— 91/2013 में मेरे द्वारा सेसन जज माननीय व्यवहार न्यायालय, रोहतास, सासाराम के न्यायालय से दिनांक 17.05.2013 को जमानत करा लिया गया है। उक्त घटना से चोटिल तथा भयाकान्त होकर मैं कार्या० जाने में असमर्थ था, तत्संबंधी अवकाश का आवेदन मेरे द्वारा रजिस्टर्ड डाक से अगले दिन ही प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज को भेजा गया। स्पष्ट है कि मैं फरार नहीं था। इस प्रकार प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा लगाया गया कर्तव्य से फरार होने का आरोप भी सत्य से परे है। प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा मेरे साथ पूर्व में दिनांक 14.02.13 एवं दिनांक 09.04.13 को भी दुर्व्यवहार किया गया था। प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा चप्पल से मारने का प्रयास किया गया। जिसकी सूचना मेरे द्वारा अनु०पदा०, बिक्रमगंज एवं जिला पदाधिकारी महोदय, रोहतास को दी गयी थी। उक्त दोनों कर्मियों द्वारा भी दुर्व्यवहार की घटना की लिखित सूचना तत्कालिन अनु०पदा०, बिक्रमगंज एवं जिला पदा० महोदय रोहतास को दी गयी थी। प्रखंड कार्या० बिक्रमगंज के अन्य पुरुष/महिला कर्मचारियों द्वारा प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज के विरुद्ध अनु०पदा०, बिक्रमगंज के समक्ष दुर्व्यवहार की लिखित सूचना दी गयी है। विदित हो कि जिला पदा० महोदय रोहतास के आदेश सं० 11/2013-14 ज्ञापांक 418, दिनांक 07.05.13 द्वारा मुझे निलंबित किया गया था, लेकिन प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा समर्पित प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र दिनांक 20.09.	कराया तथा अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज के यहाँ दिनांक 27.04.2013 को भा०द०वि० की धारा के तहत परिवाद सं० 246/13 प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज (श्री अरुण कुमार एवं श्री राजेश पासवान) के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जो निर्णयाधीन है। इस प्रकार उनके साथ मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाना सत्य से परे एवं निराधार है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी—सह—उपस्थापन पदाधिकारी, बिक्रमगंज से प्राप्त मंतव्य में लिखा है कि श्री कुमार द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं लगाये गये आरोप पूर्णतः गलत है। मेरे द्वारा गाली—गलौज तथा असंसदीय भाषा का प्रयोग इनके विरुद्ध नहीं किया गया। बल्की श्री कुमार द्वारा ही दिनांक 25.04.2013 को उपस्थिति बनाकर कार्यालय से अनुपस्थित पाये जाने के कारण स्पष्टीकरण मांगने पर इनके द्वारा अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई। इसके पश्चात् बिक्रमगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आरोपी पर लगाया गया आरोप संख्या— 01 सत्य है।
--	---	---

		13 को समर्पित किया गया है, जबकि प्रपत्र 'क' के संलग्न अनुलग्नक को दिनांक 06.05.13 में अभिप्रमाणित किया गया है। जबकि जिला पदा० महोदय रोहतास का ज्ञापांक 418, दिनांक 07.05.13 प्र०कार्या०, बिक्रमगंज में दिनांक 08.05.13 को प्राप्त है। जिसका साक्ष्य पत्र के पार्श्व अंकित (हासिया) में अध्याक्षर प्र०वि०पदा० का अंकित है। जो कार्या० के अभिलेख से सम्पुष्ट है। इसका मतलब है कि प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा षडयंत्र के तहत मेरे विरुद्ध निलंबन के पूर्व से ही सुनियोजित साजिश रचा गया है। और निलंबन के पूर्व से ही सारे कागजात सुनियोजित तरीके से तैयार कर उनके द्वारा रखा गया था। जो स्पष्ट रूप में दुराग्रह एवं द्वेषता का प्रतीक है।	
2	आदेश अवहेलना :- प्रखण्ड नजारत का कार्य बाधित न हों को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज द्वारा आपको प्रखण्ड कार्यालय राजपुर से प्रखण्ड कार्यालय, बिक्रमगंज में प्रतिनियुक्ति किया गया। तत्पश्चात् आपको नजारत का प्रभार स्थानान्तरित पूर्व नाजीर श्री मो० उमर खॉं से लेने हेतु आदेशित किया गया। प्रभार लेने के क्रम में पूर्व में नाजीर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आपके द्वारा आंशिक प्रभार लिया गया है कि आपके द्वारा आंशिक प्रभार लिया गया है तथा अन्य प्रभार लेने को स्पष्ट इन्कार किया जा रहा है। इस संबंध में आपको स्पष्टीकरण की मांग की गई, परन्तु आपके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। आपके द्वारा प्रभार नहीं लेने के कारण विकास कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1355/दिनांक 12.09.2012 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज को दे दी गयी है। ससमय प्रभार ग्रहण नहीं करना तथा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देना आदेश अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है।	अनु०पदा०, बिक्रमगंज के आदेश ज्ञापांक 1775, दिनांक 16.08.12 द्वारा नजारत का प्रभार लेने के लिए मुझे प्रखंड कार्या०, राजपुर से प्र०कार्या०, बिक्रमगंज में प्रतिनियुक्त किया गया था, जिसकी सम्पुष्टि जिला पदा० महोदय रोहतास द्वारा अपने आदेश संख्या— 63/12-13 एवं ज्ञापांक सं० 1067/स्था०, दिनांक 23.10.12 द्वारा ही कर दी गयी है। विदित हो कि मैं राजपुर प्र० में नाजीर ही था, अनु०पदा०, बिक्रमगंज के आदेश ज्ञापांक 1775 दिनांक 16.08.12 के आलोक में प्र०वि०पदा०, राजपुर द्वारा 16.08.12 को 17.08.12 के अपराहन के प्रभाव से विरमित कर दिया गया। विरमित एवं प्रभार देने संबंधी आदेश पत्रांक 914, दिनांक 17.08.12 मुझे दिनांक 18.08.12 को प्राप्त कराया गया। मैं दिनांक 18.08.12 को बिक्रमगंज प्रखंड में योगदान किया था, अनु०पदा०, बिक्रमगंज के आदेश ज्ञापांक 1775, दिनांक 16.08.12 का अनुपालन सुनिश्चित करने में एक सप्ताह समय प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा लिया गया। यानि पत्रांक 1272, दिनांक 23.08.2012 को प्रभार लेने का आदेश निर्गत किया गया। प्र०कार्या०, बिक्रमगंज में नजारत का कार्य करने के लिए प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा हमसे पूर्व उसी कार्यालय के श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक को आदेश दिया गया था। जो वर्तमान में नजारत का कार्य कर रहे हैं। तत्पश्चात् प्रखंड नाजीर बिक्रमगंज द्वारा	आरोप संख्या 02 आदेश अवहेलना :- आरोपी का अपने स्पष्टीकरण में कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज के आदेश ज्ञापांक 1775 दिनांक 16.08.2012 द्वारा नजारत का प्रभार लेने हेतु प्र०कार्या०, राजपुर से प्र०कार्या०, बिक्रमगंज में प्रतिनियुक्त किया गया जो दिनांक 17.08.2012 को विरमित हुआ दिनांक 18.08.2012 को प्र०कार्या० में योगदान किया। दिनांक 23.08.2012 को प्रभार लेने का आदेश निर्गत हुआ। पूर्व नाजीर बिक्रमगंज से आंशिक प्रभार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा मुझपर पुलिस बल का प्रयोग कर प्रखण्ड नजारत का प्रभार दिया गया। इसलिए प्रभार लेने के बाद जो भी पत्र मुझे प्राप्त कराया गया था स्पष्टीकरण का जवाब ससमय मेरे द्वारा दे दिया जाता था। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी—सह—उपस्थापन पदाधिकारी, बिक्रमगंज ने अपने मंतव्य में लिखा है कि श्री कुमार द्वारा ससमय प्रभार ग्रहण नहीं करना तथा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देना आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता है। श्री कुमार के मारपीट कर कार्यालय से फरार होने के बाद नजारत का कार्य श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक से कार्यालय एवं विकास कार्य बाधित न हो

	प्रभार सूची बनाना प्रारंभ किया गया और आंशिक प्रभार प्र०वि०पदा० द्वारा मुझ पर पुलिस बल का प्रयोग कर प्रखंड नजारत का प्रभार दिया गया। प्र०वि०पदा० द्वारा (हमेशा मौखिक रूप से निदेशित किया जा रहा था कि) अद्यतन रोकड़ पंजी का प्रभार लेकर कार्य करने के लिए मेरे उपर हमेशा दबाव बनाया जा रहा था। बाद में अन्य प्रभार की सूची भी पूर्व नाजीर द्वारा बनाया जाने लगा सूची तैयार होने के बाद मिलाने के पश्चात हस्ताक्षर कर सूची उपलब्ध करा देने की बात पूर्व नाजीर से मेरे द्वारा कही गयी थी। लेकिन प्रभार दिए एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि मो० उमर खॉ पूर्व नाजीर द्वारा अपने आवेदन दिनांक 01.09.12 में यह लिखा की नजारत संबंधी अन्य या पुराने कागजातों को लेने से मेरे द्वारा इन्कार किया जा रहा है। अत्यन्त ही खेदजनक एवं निराशाजनक है। मो०उमर खॉ द्वारा आरोप पत्र देने की तिथि को ही यानि दिनांक 01.09.12 को ही प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा अपने ज्ञापांक 1320 दिनांक 01.09.12 द्वारा एतद संबंधी आदेश निर्गत किया गया। जबकि प्रभार सूची से प्रभार को मिलाने में समय भी लगता है। दिनांक 01.09.12 को बिक्रमगंज के प्रभार सूची पुराने प्रभार को मिलाने का आदेश प्र०वि०पदा० द्वारा दिया जाता है तो दूसरे तरफ अपने पत्रांक 1337, दिनांक 04.09.12 द्वारा यह आदेश के साथ पत्र निर्गत किया जाता है कि दिनांक 05.09.12 को प्रखंड नजारत, राजपुर का प्रभार देना सुनिश्चित करें एवं दिनांक 06.09.12 को आप अपने को राजपुर प्रखंड से स्वतः विरमित समझे भवदीय स्वतः विचार करना चाहेंगे कि प्रखंड नजारत का प्रभार एक दिन में देना या लेना क्या संभव है। आदेश के आलोक में प्र०कार्या० से स्वतः विरमित होकर प्र०कार्या०, बिक्रमगंज में चला गया रोटिन कार्य करते हुए मैं प्रभार सूची का मिलान भी कर रहा था कि प्र०वि०पदा० द्वारा अपने पत्रांक 1355, दिनांक 12.09.12 द्वारा मेरे विरुद्ध षडयंत्र रचकर अनु०पदा०, बिक्रमगंज के यहाँ मिथ्या आरोप पत्र दायर कर दिया गया। उधर प्र०वि०पदा, राजपुर द्वारा मेरे उपर प्रभार देने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मेरे द्वारा प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा	इसलिए नजारत का कार्य लिया जा रहा है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आरोपी पर लगाया गया आरोप सं०-02 सत्य है।
--	--	--

		अनेकों बार लिखित आवेदन पत्र एवं मौखिक रूप से प्रखंड, राजपुर का नजारत का प्रभार देने हेतु प्रतिनियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया। इसी दरम्यान महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना के पदाधिकारियों द्वारा प्रखंड कार्यालय, बिक्रमगंज का अंकेक्षण करने के लिए आए हुए थे। उपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज के मनसा के विपरीत अनु०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा मुझे प्र०कार्या०, बिक्रमगंज का नजारत का प्रभार दिलाया गया था। इसलिए प्रभार लेने के एक पक्ष के अन्दर प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा मेरे विरुद्ध षडयंत्र रचा जाने लगा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा Biased, Prejudice एवं Malafied भावना से उत्प्रेरित होकर मेरे विरुद्ध उक्त कार्रवाई की गयी। जो भी पत्र मुझे प्राप्त कराया गया था स्पष्टीकरण का जबाब ससमय मेरे द्वारा प्र०वि०पदा० को दे दिया जाता था।	
3	अनुशासनहीनता :- आप अपने मन से बिना किसी के अनुमति के कभी भी कार्यालय छोड़कर चले जाते हैं। इस संबंध में आप से स्पष्टीकरण की मांग की गई है परन्तु अभी तक किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिये हैं। अपने मन से अनुपस्थिति पंजी पर सी०एल० दर्ज करते हैं और क्रॉस उपस्थिति पंजी पर सासाराम लिख देते हैं।	यह आरोप भी मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद है मैं दिनांक 04.04.2013 को प्र०वि०पदा० के मौखिक आदेशानुसार सरकारी कार्यवश सासाराम गया था। दिनांक 08.04.13 को 04:00 बजे संध्या अनु०कार्या०, बिक्रमगंज गया था। दिनांक 06.04.13 को अवकाश का आवेदन देकर अवकाश में था। दिनांक 25.04.13 को प्र०लिपिक से मौखिक आदेश लेकर अनु०कार्या०, बिक्रमगंज 11:00 बजे पूर्वाह्न में गया था। कार्यपालक दण्डाधिकारी से कार्य के सिलसिले में सम्पर्क स्थापित किया था। प्र०वि० पदा०, बिक्रमगंज का ज्ञापांक 421 दिनांक 04.04.13, 438 दिनांक 09.04.13, 487 दिनांक 25.04.13 मुझे आज तक प्राप्त नहीं है, ताकि मैं अपना स्पष्टीकरण दे सकूँ। अबतक जो पत्र प्राप्त हुआ है। उसका स्पष्टीकरण प०वि०पदा०, बिक्रमगंज को दे चुका हूँ। अभी तक उपस्थिति के आधार पर प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा उपस्थिति प्रतिवेदन प्र०वि०पदा०, राजपुर को निलंबन से पूर्व भेजा जाता रहा है। जिसके आधार पर प्र०वि०पदा०, राजपुर द्वारा निर्धारित वेतन भुगतान किया गया है।	आरोप सं० 03 अनुशासनहीनता :- आरोपी का अपने स्पष्टीकरण में कथन है कि यह आरोप भी मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद है। दिनांक 06.04.2013 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से दिनांक 06.04.2013 को आकस्मिक अवकाश दिनांक 25.04.2013 को प्रधान लिपिक से मौखिक आदेश लेकर बिक्रमगंज एवं सासाराम गया था। मुझसे कोई स्पष्टीकरण नहीं पुछा गया है और नहीं मुझे प्राप्त हुआ है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बिक्रमगंज के उपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर के द्वारा मेरा वेतन का भुगतान किया गया है। प्र०वि०पदा०-सह-उपस्थापन पदाधिकारी, बिक्रमगंज का मतव्य है कि आरोप पूर्णतः सत्य है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आरोपी पर लगाया गया आरोप सं० 03 सत्य है।

4	वित्तीय अनियमितता :- आपके द्वारा मेसर्स रवि स्टेशनरी एवं ऑर्डर सप्लायर्स, बिक्रमगंज का पारित 42648.00 जिसे अभिश्रव पंजी में दर्ज कर दिया गया है। परन्तु अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज के द्वारा माह फरवरी में विपत्र निकालने से संबंधित समीक्षा बैठक में आपके द्वारा 36000/- का गलत अभिश्रव का विपत्र बनाया गया था, जिसे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा जप्त कर लिया गया। जिला स्तर से कई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन यथा 31.03.2013 का सहायक रोकड पुस्त की छायाप्रति डी0सी0 बिल उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि की मांग आप से की जाती थी, परन्तु आपके द्वारा इसे नहीं दिया गया, जिसकी सूचना अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज एवं उप समाहर्ता, स्थापना, रोहतास, सासाराम को दी गई है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर के द्वारा अपने पत्र से सूचित किया गया है कि श्री मनोज कुमार के द्वारा 136000/- का अभिश्रव अभिश्रव पंजी में अंकित किया गया है परन्तु उसका भुगतान नहीं किया गया है। इसके अति उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उनके पास अभी नजारत का 21500/- अवशेष राशि है।	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज के पत्रांक 319 दिनांक 15.03.2013 के आलोक में कहना है कि महादलित के चयनित स्थलों पर झण्डोतोलन के लिए 15 अगस्त 2012 को 11200/- एवं 26 जनवरी 2013 के अवसर पर कार्य सम्पादन हेतु 16800/- रु0 विकास मित्र एवं प्रतिनियुक्त शिक्षकों को भुगतान किया गया, जिसमें दिसम्बर 2012 में 11200/- एवं 25.01.2013 को 10000/- रु0 यानि कुल 21200/- रु0 अभिश्रव के आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज को दे दिया गया है, जो वर्ष 2012-13 के अग्रिम पंजी में देखा जा सकता है। रवि स्टेशनरी, बिक्रमगंज से 20842/- रु0 का अभिश्रव प्राप्त था, जिसे आपके द्वारा पारित करने के पश्चात् उन्हें भुगतान कर दिया गया है। जिसे अभिश्रव पंजी से मिलान किया जा सकता है। अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज द्वारा फरवरी 2013 में विपत्र निकासी हेतु समीक्षा बैठक में पेंशन शिविर का आपके मौखिक आदेशानुसार अभिश्रव तैयार कर विपत्र बनाया गया था। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज द्वारा प्रखण्ड नाजीर से प्रधान लिपिक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज के आरोप पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। जिससे संबंधित स्पष्टीकरण मेरे द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज को दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)। अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज द्वारा अभिश्रव पंजी से मिलान कर मुझे निर्दोष साबित किया गया था। इस संबंध में प्रधान सहायक श्री हरिशंकर प्रसाद एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज से अपने ज्ञापांक 295 दिनांक 19.02.2013 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी। जिसे कार्यालय से मांग की जा सकती है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर द्वारा आरोपित की 136000.00 का अभिश्रव अभिश्रव पंजी में अंकित किया गया है, परन्तु उसका भुगतान नहीं किया गया है। यह सत्य से परे है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर के पत्र के विपरीत प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज द्वारा आरोप पत्र में तथ्य अंकित किया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर के द्वारा	आरोप सं0 :- 04- प्रपत्र "क" में लगाया गया वित्तीय अनियमितता के संबंध में आरोपी का स्पष्टीकरण में कथन है कि रवि स्टेशनरी, बिक्रमगंज से 20842.00 रु0 का अभिश्रव प्राप्त था। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज से अभिश्रव पारित होने के पश्चात् उन्हें भुगतान कर दिया गया है, जबकि आरोपी पर आरोप लगाया गया है कि मेसर्स रवि स्टेशनरी एवं ऑर्डर सप्लायर्स, बिक्रमगंज का पारित मो0 42648.00 रूपया जिसे अभिश्रव पंजी में दर्ज कर दिया गया है, परन्तु अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। आरोपी ने अन्य आरोपों से संबंधित स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज ने अपने मंतव्य दिया है कि मेसर्स रवि स्टेशनरी, बिक्रमगंज का बकाये राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। आरोपी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पूर्णतः गलत है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजपुर के यहाँ की राशि समायोजन आरोपी द्वारा किया गया है या नहीं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर बता सकते हैं। जहाँ तक मेरे द्वारा प्राप्त किये गये अग्रिम का संबंध है इस कार्यालय का पत्रांक 1185 दिनांक 16.11.2013 तथा पत्र सं0 1320 दिनांक 19.12.2013 से स्थिति स्पष्ट हो जायेगा। श्री कुमार द्वारा अग्रिम पंजी में Interpollation एवं छेड़छाड़ की गयी है जो स्पष्टतः वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आरोपी पर लगाया गया आरोप सं0 04 सत्य है।
----------	--	---	---

		पंचायत निर्वाचन 2011 का अभिश्रव क्रमशः 88000.00, 48000.00, 4400.00, 5039.00 मात्र कुल 145439.00 का अभिश्रव पारित कर भुगतान करने के पश्चात अभिश्रव पंजी में दर्ज किया गया है। पंचायत निर्वाचन 2011 में मतगणना कर्मियों एवं पुलिस बल के लिए तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के आदेशानुसार खाना एवं नास्ता में खर्च की गई थी। जिसका अभिश्रव प्रखण्ड नजारत, राजपुर में उपलब्ध है। जिसे तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्रीमति विभा रानी सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी अलौती, जिला- खगड़िया में कार्यरत है। जिनसे सम्पुष्टि की जा सकती है। इसके अतिरिक्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर मेरे उपर 21500/- नजारत का राशि अवशेष दिखाया गया है, जो गलत एवं बेबुनियाद है। मेरे उपर प्रखण्ड नजारत, राजपुर का किसी प्रकार का बकाया नहीं है। जिसका रोकड़ पंजी के प्रभार प्रतिवेदन से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज द्वारा लगभग 2100/- ₹0 का जीप बनाने का अभिश्रव का आरोप मुझ पर लगाया गया है कि भुगतान किये बगैर अभिश्रव पंजी में मेरे द्वारा दर्ज कर दी गई है। उसे अभिश्रव पंजी से मिलान किया जा सकता है। इस प्रकार का अभिश्रव अभिश्रव पंजी में मेरे द्वारा अंकित नहीं किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज के पत्रांक 05/मु0, दिनांक 10.04.2013, एवं 289 दिनांक 06.03.2013 के क्रम में कहना है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज के वगैर उच्चाधिकारी के आदेश अनियमित एवं नियम विरुद्ध प्रभार देने संबंधी आदेश के आलोक में 14.02.2013 तक रोकड़ पंजी मैं अद्यतन कर दिया था। दिनांक 10.04.2013 को चेक बुक एवं चेक पंजी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बिक्रमगंज द्वारा जबरन मुझसे लेकर प्रधान लिपिक श्री हरिशंकर प्रसाद के माध्यम से श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक को दे दिया गया। दिनांक 14.02.2013 के बाद प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज द्वारा चेक निर्गत किया जाता रहा, चेक बुक एवं चेक पंजी वापस नहीं किया गया। जिसके कारण दिनांक 14.02.2013 के बाद रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं किया जा सका। दिनांक	
--	--	---	--

		14.02.2013 के बाद रोकड़ पंजी अद्यतन करना प्रधान सहायक श्री हरिहर प्रसाद प्रखण्ड नाजीर श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह एवं आप स्वयं उत्तरदायी है। मेरे द्वारा प्रभार सूची भी तैयार कर दी गयी थी। जिसकी सूचना मेरे द्वारा अनेकों बार मौखिक एवं लिखित रूप से दी गयी थी। अनुमण्डल पदाधिकारी बिक्रमगंज द्वारा प्रधान सहायक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के समक्ष प्रभार नहीं देने की बात की गयी थी। चेक पंजी, चेक बुक एवं आवश्यक कागजात प्रखण्ड नजारत को वापस करने की सख्त आदेश दी गयी थी। जो प्रधान लिपिक श्री हरिशंकर प्रसाद, श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज द्वारा अनुपालन नहीं किया गया। दिनांक 14.02.2013 के पूर्व माह सितम्बर 2012 से फरवरी 2013 तक भी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज द्वारा प्रखण्ड नजारत बिक्रमगंज से बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के निम्नलिखित अग्रिम राशि लिया गया। <table> <tr> <td>1. 01.09.2012</td> <td>8000.00 नगद</td> </tr> <tr> <td>2. 08.10.2012</td> <td>10000.00 चेक</td> </tr> <tr> <td>3. 05.12.2012</td> <td>10000.00 नगद</td> </tr> <tr> <td>4. 11.12.2012</td> <td>20000.00 नगद</td> </tr> <tr> <td>5. 25.01.2013</td> <td>10000.00 नगद</td> </tr> <tr> <td>6. 14.02.2013</td> <td>50000.00 नगद</td> </tr> </table> उक्त सारी राशि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज द्वारा लिया गया है जिसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बिक्रमगंज द्वारा दिनांक 19.01.2013 को 40000 रु0 समायोजन किया गया है, जिसकी पुष्टि उनके पत्रांक 694 दिनांक 18.06.2013 एवं ज्ञापांक 1185 दिनांक 16.11.2013 से हुई है, जिससे स्पष्ट है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बिक्रमगंज द्वारा वित्तीय अनियमितता बरती गयी है। श्री अरुण कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज पूर्व में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेनीपट्टी (जिला—मधुबनी) के पद पर पदस्थापित थे। बेनीपट्टी प्रखण्ड पदस्थापन काल में इनके द्वारा 429687.00 (चार लाख उन्नतीस हजार छः सौ सन्तावन) रु0 की हेरा फेरी किया गया है। इनके द्वारा विधान सभा 2010 के अवसर पर प्रखण्ड स्तर का काम जैसे रौशनी,	1. 01.09.2012	8000.00 नगद	2. 08.10.2012	10000.00 चेक	3. 05.12.2012	10000.00 नगद	4. 11.12.2012	20000.00 नगद	5. 25.01.2013	10000.00 नगद	6. 14.02.2013	50000.00 नगद	
1. 01.09.2012	8000.00 नगद														
2. 08.10.2012	10000.00 चेक														
3. 05.12.2012	10000.00 नगद														
4. 11.12.2012	20000.00 नगद														
5. 25.01.2013	10000.00 नगद														
6. 14.02.2013	50000.00 नगद														

		बैरीयर, टेन्ट आदि कार्य के विरुद्ध उक्त अभिश्रवों पर श्री अरुण कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा अपने पेन में अंकित किया गया है, कि भुगतान मेरे द्वारा किया गया है। लेकिन वास्तव में इनके द्वारा किसी अभिश्रव का भुगतान नहीं किया गया है। इस क्रम में श्री गौरी शंकर प्रधान का आवेदन दिनांक 07.06.2012 के अनुलग्नक सहित छायाप्रति जो 23 पृष्ठों की है जो संलग्न की जाती है।	
5	आदेश की अवहेलना :- आपके द्वारा नजारात का कार्य सुचारु रूप से नहीं होने के कारण श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक को नजारात का प्रभार सौंपने हेतु जनवरी 13 में आदेश दिया गया था तथा इस कार्य हेतु अनेको स्मार दिया गया परन्तु आपके द्वारा नजारात का सम्पूर्ण प्रभार श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक को नहीं दिया गया। इसके कारण कई प्रतिवेदन अभी तक भेजा नहीं जा सका है और कार्य करने में कठिनाई हो रही है। इस तरह आपका कृत्य बिहार सरकारी सेवा आचरण नियमावली 1976 के नियम 3(1) का (i),(ii),(iii) का उलंघन है।	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज का आरोप निराधार, बेबुनियाद एवं मनगढ़ंत है। चेकबुक चेक पंजी एवं नजारात से लिए गये अग्रिम को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बिक्रमगंज द्वारा नहीं लौटाने जाने के कारण न तो 14.02.2013 के बाद रोकड बही लिखा सका नही तो किसी तरह कर नजारात का प्रभार श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक को मेरे द्वारा दिलाया गया है। 26.04.2013 से 23.05.2013 तक मैं अवकाश में था। 24.05.2013 को जब मैं कार्यालय आकर योगदान दिया तथा अनुरोध किया की मैं प्रभार देने को तैयार हूँ इसलिए इनभेन्ट्रीज से प्रभार दिलाने के बजाय मुझसे प्रभार दिला दिया जाय लेकिन आपके द्वारा ऐसा करने से इनकार किया गया। मेरे योगदान आवेदन पत्र का छायाप्रति संलग्न है। अनुमण्डल पदाधिकारी, बिक्रमगंज के ज्ञापांक 1775 दिनांक 16.08.2012 एवं जिला पदाधिकारी महोदय रोहतास का ज्ञापांक 1067 दिनांक 23.10.2012 के आदेश के विपरीत तथा बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 110 के विपरीत छः माह के अन्दर प्रभार में बार-बार फेर बदल करना नियम विरुद्ध है। साथ-ही भ्रष्टाचार तथा कदाचार को बढ़ावा देने के सदृश्य है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक को राजपुर प्रखण्ड कार्यालय के लिए विरमित नहीं किया गया इस संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारी, बिक्रमगंज द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी थी, जो कार्यालय में उपलब्ध है। माँग कर अवलोकन किया जा सकता है। अपने आदेश ज्ञापांक 100 दिनांक 31.01.2013 द्वारा मेरा प्रभार बदल दिया गया तथा ज्ञापांक 136 दिनांक 05.02.2013, 175 दिनांक 16.02.2013, 247 दिनांक 02.	आरोप सं० -05 आदेश की अवहेलना :- आरोपी का अपने स्पष्टीकरण में कथन है कि आरोप निराधार, बेबुनियाद एवं मनगढ़ंत है। चेकबुक, चेंकपंजी एवं नजारात से लिये गये अग्रिम को प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा नहीं लौटाये जाने के कारण न तो 14.02.2013 के बाद रोकड बही लिखा सका न तो किसी तरह का नजारात का प्रभार श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक को मेरे द्वारा दिलाया गया है। दिनांक 26.04.2013 से 23.05.2013 तक अवकाश में था और दिनांक 24.05.2013 को पुनः योगदान दिया। नजारात का प्रभार दिलाने के लिए दबाव बनाये जाने लगा ताकि नजारात से लिये गये अग्रिम को हडपा जाय। इस आशय की विस्तृत सूचना अपने आवेदन के माध्यम से अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी को साक्ष्य सहित दी जा चुकी है। साथ-ही मौखिक रूप से श्री रामेश्वर सिंह द्वारा नजारात का प्रभार नहीं लेने की बात प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बिक्रमगंज के समक्ष अनेको बार मौखिक भी सूचित की जाती थी। प्र०वि०पदा०-सह-उपस्थापन पदा०, बिक्रमगंज ने अपने मंतव्य में लिखा है कि आदेश की अवहेलना आरोपी द्वारा किया गया है। यह सत्य है। नजारात का प्रभार इनके द्वारा अनकों पत्र देने के बाद भी नहीं दिया गया। अन्ततः इनके द्वारा नियंत्री पदाधिकारी के साथ मार-पीट कर फरार हाने के पश्चात् इन्भेन्ट्री के माध्यम से श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक को नजारात

		03.2013 एवं 420 दिनांक 04.04.2013 द्वारा प्रभार देने के लिए दबाव बनाया जाने लगा ताकि नजारत से लिए गये अगिम को हडप जाय। उक्त आशय की विस्तृत सूचना मेरे द्वारा अपने आवेदन के माध्यम से अनुमण्डल पदाधिकारी, बिक्रमगंज एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास को साक्ष्य सहित दी जा चुकी है। सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न की जाती है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बिक्रमगंज द्वारा घोर अनियमितता वरती गयी है जिसका उल्लेख कंडिका 04 में की गयी है। साक्ष्य के रूप में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज के ज्ञापांक 694 दिनांक 08.06.2013 एवं ज्ञापांक 1185 दिनांक 16.11.2013 की छायाप्रति संलग्न कर दी गयी है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रभार संबंधी जो भी पत्र प्राप्त कराया जाता था। मेरे द्वारा स्पष्टीकरण ससमय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाता था। साथ-ही मौखिक रूप से भी श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा नजारत का प्रभार नहीं लेने की बात प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के समक्ष मेरे द्वारा अनेको बार मौखिक भी सूचित की जाती थी।	का प्रभार दिलाया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज ने अपने मंतव्य में लिखा है कि अरापी के द्वारा दिनांक 14.02.2013 के बाद रोकड पंजी को अद्यतन नहीं किया गया है और न ही रोकड पंजी का "डिटैल्स" निकाला गया है, जिससे रोकड पंजी की स्थिति स्पष्ट हो सके। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आरोपी पर लगाया गया आरोप सं0 05 सत्य है।
6	नाम मे अन्तर :- पूर्व में पत्राचार के क्रम में लिपिकीय भूल से कहीं श्री मनोज कुमार, प्रखण्ड नाजीर, बिक्रमगंज एवं कही श्री मनोज कुमार सिंह, नाजीर प्रखण्ड कार्यालय, बिक्रमगंज अंकित हो गया है। वास्तव में इनका नाम मनोज कुमार है।	मेरा नाम श्री मनोज कुमार है।	आरोप सं0 06 :- नाम में अंतर :- आरोपी पर प्रपत्र "क" में लगाया गया आरोप में यह उल्लेख किया गया है कि पूर्व में पत्राचार के क्रम में लिपिकीय भूल से कहीं मनोज कुमार, प्रखण्ड नाजीर, बिक्रमगंज एवं कही श्री मनोज कुमार सिंह, नाजीर प्रखण्ड कार्यालय, बिक्रमगंज अंकित हो गया है। वास्तव में इनका नाम श्री मनोज कुमार है। आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण में कथन है कि मेरा नाम मनोज कुमार है। इस प्रकार आरोपी पर लगाया गया आरोप असत्य है।
7	प्रखण्ड कार्यालय, राजपुर से संबंधी आरोप का विवरण :- वित्तीय अनियमितता :- आपके द्वारा 15 अगस्त 2012 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुधा मिष्ठान भंडार, राजपुर से 15000/- रुपये के मंगाये गये मिठाई के पैकेट का अभिश्रव दिया गया तथा अभिश्रव के राशि की	प्र0वि0पदा0, राजपुर के पत्रांक 160 दिनांक 14.02.2013 एवं 177 दिनांक 20.02.2013 के क्रम में कहना है कि मैं अपने आवेदन दिनांक 20.02.2013 द्वारा स्पष्ट कर दिया है कि 15 अगस्त 2012 के अवसर पर मिठाई का पैकेट मंगाया गया था। सुधा मिष्ठान भंडार राजपुर से 15000.00 रु0 के मंगाये गये	आरोप सं0-7 वित्तीय अनियमितता:- प्रखण्ड कार्यालय राजपुर से संबंधित आरोप :- आरोपी का स्पष्टीकरण में कथन है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजपुर के पत्रांक 160 दिनांक 14.02.2013 एवं 177 दिनांक 20.02.2013 के क्र में मैं अपने

	राशि की निकासी आपके द्वारा कर ली गई है, परन्तु भुगतान नहीं किया गया है। उक्त राशि को ज्ञापांक 160/ दिनांक 14.02.2013 से प्रखण्ड नजारत में जमा करने का आदेश के बावजूद पैसा जमा नहीं किया गया है। यह क्रिया आदेश अवहेलना एवं वित्तीय अनियमितता को प्रदर्शित करता है।	मिठाई का पैकेट का अभिश्रव प्राप्त नहीं है और नहीं अभिश्रव पंजी में दर्ज किया गया है। और नहीं इस प्रकार का अभिश्रव दिया गया है। जिसका अभिश्रव मुझे अप्राप्त था। उक्त राशि के विरुद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजपुर द्वारा मुझे सुधा मिष्ठान राजपुर का 10000.00 रु0 का अभिश्रव दिया गया जिस पर पावती रसीद प्राप्त था। तत्पश्चात् 10000.00 रु0 का अभिश्रव लेकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजपुर को नाजीर के समक्ष दे दिया गया था। शेष 20000.00 रुपये मेरे द्वारा अन्य पारित अभिश्रव में समायोजित कर दिया गया। मेरे द्वारा दिनांक 20.02.2013 को एतद् संबंधी सूचना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजपुर को दे दी गयी है। जिसकी प्रतिउत्तर का छायाप्रति संलग्न है।	आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2013 से स्पष्ट कर दिया है कि 15 अगस्त 2012 के अवसर पर मिठाई का पैकेट सुधा मिष्ठान भण्डार, राजपुर से 15000.00 के मंगाये गये मिठाई के पैकेट का अभिश्रव प्राप्त नहीं है और नहीं अभिश्रव पंजी में दर्ज किया गया है और नहीं इस प्रकार का अभिश्रव दिया गया है। मुझे इसका अभिश्रव अप्राप्त था। उक्त राशि के विरुद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजपुर द्वारा मुझे सुधा मिष्ठान भंडार, राजपुर का 10000.00 (दस हजार) अभिश्रव दिया गया जिसपर पावती रसीद प्राप्त था। तत्पश्चात् 10000 (दस हजार) रु0 का अभिश्रव लेकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर के नाजिर के समक्ष दे दिया गया था। शेष 20000.00(बीस हजार) रु0 मेरे द्वारा अन्य पारित अभिश्रव में समायोजित कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपी द्वारा 15 अगस्त 2012 को सुधा मिष्ठान भंडार, राजपुर से 15000.00 रुपये के मंगाये गये मिठाई के पैकेट का अभिश्रव दिया गया तथा राशि की निकासी आरोपी के द्वारा कर ली गई, परन्तु भुगतान नहीं किया गया। उक्त राशि को प्रखण्ड नजारत में जमा करने का आदेश देने के बाद भी पैसा जमा नहीं करना, आदेश अवहेलना एवं वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। आरोपी पर लगाया गया आरोप सत्य है। मंतव्य :- आरोपी श्री मनोज कुमार, लिपिक प्रखण्ड कार्यालय, राजपुर प्रतिनियुक्त प्रखण्ड कार्यालय, बिक्रमगंज पर गठित आरोप "प्रपत्र क" में लगाया गया आरोप सं0 01 से 07 तक (06 को छोड़कर) सत्य पाया गया।
--	---	--	---

संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में आरोपी कर्म से द्वितीय कारण पृच्छा इस कार्यालय के ज्ञापांक 695/स्था0, दिनांक 07.08.2018 से पूछा गया। जिसके संबंध में आरोपी कर्म द्वारा अपनी द्वितीय कारण पृच्छा दिनांक 17.09.2018 को समर्पित की गयी, जिसका व्योरा निम्नवत है :-

क्र०	आरोप का विवरण	संचालन पदाधिकारी का मंतव्य	आरोपी का द्वितीय कारण पृच्छा का जबाब
1	2	3	4
1	प्रखण्ड कार्यालय, बिक्रमगंज से संबंधी आरोप का विवरण :- नियंत्री पदाधिकारी के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार :- दिनांक 25.04.2013 को उपस्थिति बनाकर कार्यालय से अनुपस्थित पाये जाने के फलस्वरूप स्पष्टीकरण की मांग की गयी। आप स्पष्टीकरण पत्र लेकर नियंत्री पदाधिकारी के कक्ष में आये तथा अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए पत्र को फाड़ दिया, बैठकर शांति से बात करने के लिए कहे जाने पर और अधिक भड़क उठे एवं घुस्सा एवं फेट से मारने लगे। अचानक प्रहार से नियंत्री पदाधिकारी बुरी तरह से घायल हो गये। नियंत्री पदाधिकारी किसी प्रकार भाग कर अपनी जान बचाये तथा ईलाज कराने चिकित्सक के यहाँ पहुँचे। ईलाज के पश्चात चिकित्सक से ईन्ज्युरी रिपोर्ट लेकर बिक्रमगंज थाना में प्राथमिकि दर्ज करायी गयी। बिक्रमगंज थाना द्वारा प्राथमिकी संख्या 91/13 दिनांक 25.04.2013 भा०द०वि० की धारा 147, 341, 323, 353, 333 प्रारम्भ की गयी ह। आप उसी दिन (25.04.2013) से फरार है। नजारात का कार्य बुरी तरह से बाधित है। यह कृत उदंडता एवं अपराधिक प्रवृत्ति का द्योतक है।	विभागीय कार्यवाही वाद संख्या 13/2013 श्री मनोज कुमार, लिपिक प्रखण्ड कार्यालय, राजपुर प्रतिनियुक्त प्रखण्ड कार्यालय, बिक्रमगंज के विरुद्ध गठित आरोप पत्र “ प्रपत्र क” में लगाये गये आरोपों के संबंध में आरोपी से जवाब/स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जो प्राप्त है। आरोपी के स्पष्टीकरण पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-उप स्थापन पदाधिकारी, बिक्रमगंज से भी मंतव्य की मांग की गयी थी, जो प्राप्त है। प्राप्त मंतव्य एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है की आरोपी पर आदेश का अवहेलना कर नजारात का सम्पूर्ण पभार नहीं सौंपने, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार करने एवं मारपीट करने के आरोप में निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध “प्रपत्र क” गठित कर विभागीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। आरोप एवं मंतव्य निम्न प्रकार है :- आरोप सं० 1 :- नियंत्री पदाधिकारी के साथ मारपीट एवं दुर्व्यवहार :- आरोपी का अपने जवाब/स्पष्टीकरण में कथन है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज का आरोप निराधार एवं बेबुनियाद है। वास्तविकता यह है कि दिनांक 25.04.2013 को निर्धारित समय पर कार्यालय पहुँच कर उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर की गई थी। लगभग 11:00 बजे पूर्वाह्न में प्रधान लिपिक को मौखिक रूप से सूचना देकर अनुमंडल कार्यालय, बिक्रमगंज कार्यवश गया था। कार्यपालक दण्डाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर लगभग 12:00 बजे कार्यालय आ गया था। कार्यालय आने पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ने मुझे अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बुलाया और अकारण मेरे साथ गाली-गलौज तथा असंसदीय भाषा का प्रयोग उनके द्वारा किया गया। मेरे द्वारा गाली-गलौज तथा असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करने का अनुरोध किया गया तो	कॉलम- 02 में प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा लगाया गया आरोप को कृपया अवलोकन किया जा सकता है, जिसके आलोक में मेरे द्वारा दिनांक 16.12.2013 को विस्तृत व्योरा के साथ साक्ष्य सहित प्रतिवेदन अपर समाहर्ता (विभागीय जॉच), रोहतास, सासाराम को दिया गया था। चूंकि वे ही मुझ पर चल रहे विभागीय जॉच के संचालन पदाधिकारी थे। लेकिन मेरे द्वारा समर्पित प्रतिवेदन (स्पष्टीकरण) में दिए गये विस्तृत व्योरा एवं संलग्न किए गए साक्ष्य के आधार पर कोई जॉच नहीं किया गया और तत्कालिन प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज जो विभागीय जॉच के कार्यवाही में उपस्थापन पदाधिकारी बनाये गये थे के मंतव्य के आधार पर एक पक्षीय निर्णय लेते हुए क्रमांक- 1 के आरोप को सत्य करार दिया गया जो अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। भवदीय से अनुरोध है कि मेरे विरुद्ध गठित आरोप प्रपत्र ‘क’ के आलोक में दिनांक 16.12.2013 को समर्पित साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण के आलोक में गहन जॉच कर मुझे न्याय देने की कृपा की जाय। सुलभ प्रसंग हेतु दिनांक 16.12.13 का साक्ष्य सहित दिए गए स्पष्टीकरण को इस पत्र के परिशिष्ट 1 पर संलग्न की जाती है। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से स्पष्ट होता है कि विभागीय कार्यवाही के उपस्थापन पदाधिकारी तत्कालिन प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज को जिसके मंतव्य के आधार पर अपर समाहर्ता (विभागीय जॉच), रोहतास -सह- संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है। जबकि अपर समाहर्ता (विभागीय जॉच), रोहतास, सासाराम के ज्ञापांक 146/वि०जॉच, दिनांक 30.11.2013 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस विभागीय कार्यवाही के उपस्थापन

	और क्रोधित होकर मेरे पैकेट से 2000.00 (दो हजार) रुपया निकाल लिया गया। मैं वहाँ से भागकर चिकित्सक से ईलाज कराया तथा अनुमंडलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, बिक्रमगंज के यहाँ दिनांक 27.04.2013 को भा0द0वि0 की धारा के तहत परिवाद सं0 246/13 प्र0वि0पदा0, बिक्रमगंज (श्री अरुण कुमार एवं श्री राजेश पासवान) के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जो निर्णयाधीन है। इस प्रकार उनके साथ मारपीट करने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाना सत्य से परे एवं निराधार है। प्र0वि0पदा0 –सह– उपस्थापन पदा0, बिक्रमगंज से प्राप्त मंतव्य में लिखा है कि श्री कुमार द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण एवं लगाये गये आरोप पूर्णतः गलत है। मेरे द्वारा गाली–गलौज तथा असंसदीय भाषा का प्रयोग इनके विरुद्ध नहीं किया गया। बल्की श्री कुमार द्वारा ही दिनांक 25.04.2013 को उपस्थिति बनाकर कार्यालय से अनुपस्थित पाये जाने के कारण स्पष्टीकरण मांगने पर इनके द्वारा अभद्र एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई। इसके पश्चात् बिक्रमगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आरोपी पर लगाया गया आरोप संख्या– 01 सत्य है।	पदाधिकारी प्रभारी पदा0, जिला सामान्य शाखा, रोहतास थे। सुलभ प्रसंग हेतु अपर समाहर्ता (विभागीय जॉच), रोहतास, सासाराम के ज्ञापांक 146/वि0जॉच, दिनांक 30.11.2013 की छाया प्रति परिशिष्ट– 2 पर संलग्न करते हुए निवेदन पूर्वक कहना है कि तत्कालिन प्र0वि0पदा0, बिक्रमगंज को उपस्थापन पदा0 बनाने से मुझे न्याय पाने के आसार खत्म हो जाते हैं।	
2	आदेश अवहेलना :- प्रखण्ड नजारत का कार्य बाधित न हों को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज द्वारा आपको प्रखण्ड कार्यालय राजपुर से प्रखण्ड कार्यालय, बिक्रमगंज में प्रतिनियुक्ति किया गया। तत्पश्चात् आपको नजारत का प्रभार स्थानान्तरित पूर्व नाजिर श्री मो0 उमर खॉ से लेने हेतु आदेशित किया गया। प्रभार लेने के क्रम में पूर्व में नाजीर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि आपके द्वारा आंशिक प्रभार लिया गया है कि आपके द्वारा आंशिक प्रभार लिया गया है तथा अन्य प्रभार लेने को स्पष्ट इन्कार किया जा रहा है। इस संबंध में आपको स्पष्टीकरण की मांग की गई, परन्तु आपके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। आपके द्वारा प्रभार नहीं लेने के कारण विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव	आरोप संख्या 02 आदेश अवहेलना :- आरोपी का अपने स्पष्टीकरण में कथन है कि अनुमण्डल पदाधिकारी, बिक्रमगंज के आदेश ज्ञापांक 1775 दिनांक 16.08.2012 द्वारा नजारत का प्रभार लेने हेतु प्र0कार्या0, राजपुर से प्र0कार्या0, बिक्रमगंज में प्रतिनियुक्त किया गया जो दिनांक 17.08.2012 को विरमित हुआ दिनांक 18.08.2012 को प्र0कार्या0 में योगदान किया। दिनांक 23.08.2012 को प्रभार लेने का आदेश निर्गत हुआ। पूर्व नाजीर बिक्रमगंज से आंशिक प्रभार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा मुझपर पुलिस बल का प्रयोग कर प्रखण्ड नजारत का प्रभार दिया गया। इसलिए प्रभार लेने के बाद जो भी पत्र मुझे प्राप्त कराया गया था स्पष्टीकरण का जवाब ससमय मेरे द्वारा दे दिया	संचालन पदा0 –सह– अपर समाहर्ता (वि0जॉच) रोहतास, सासाराम द्वारा संचालन पदा0 के आदेश में अंकित प्रतिवेदन से विदित होता है कि मेरे द्वारा दिनांक 16.12.2013 को साक्ष्य सहित दिये गये स्पष्टीकरण के एक भी विन्दु पर जॉच नहीं करके तत्कालिन प्र0वि0पदा0, बिक्रमगंज –सह– उपस्थापन पदाधिकारी, बिक्रमगंज रोहतास के प्रभाव में आकर एक पक्षीय प्रतिवेदन देते हुए आरोप क्रमांक 2 को सही करार दिया गया है। मेरा साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण प्रशिष्ट 1 पर संलग्न है। भवदीय से सादर अनुरोध है कि उसकी जॉच अपने स्तर से स्वयं करने की कृपा की जाय। ताकि मुझे न्याय मिल सके। उक्त

	पडा है। जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1355/दिनांक 12.09.2012 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज को दे दी गयी है। ससमय प्रभार ग्रहण नहीं करना तथा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देना आदेश अवहेलना एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है।	जाता था। प्रखण्ड विकास पदा० —सह— उपस्थापन पदाधिकारी, बिक्रमगंज ने अपने मंतव्य में लिखा है कि श्री कुमार द्वारा ससमय प्रभार ग्रहण नहीं करना तथा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देना आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता है। श्री कुमार के मारपीट कर कार्यालय से फरार होने के बाद नजारत का कार्य श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक से कार्यालय एवं विकास कार्य बाधित न हो इसलिए नजारत का कार्य लिया जा रहा है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आरोपी पर लगाया गया आरोप सं०-02 सत्य है।	स्पष्टीकरण के कॉलम- 3 में सुस्पष्ट साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण दिया गया है। पूर्व प्रखंड नाजीर मो० उमर खॉं द्वारा तत्कालिक नाजीर श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह द्वारा दिनांक 16.08.2012 को लिया गया प्रभार प्रतिवेदन जिसकी प्रति संलग्न है। स्पष्टीकरण के तथ्यों एवं संलग्न साक्ष्यों के जॉच से स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि तत्कालिन प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज के इच्छा के विरुद्ध नजारत कार्य हेतु उच्च पदाधिकारी द्वारा मेरी प्रतिनियुक्ति करने से मेरे प्रति किस तरह से Malafied, Biased एवं Prejudice भावना अपनाए हुए थे। इस प्रकार तत्कालिन प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज को उपस्थापन पदा० बनाना जन हित एवं न्यायहित में अपेक्षित नहीं जान पड़ता है।
3	अनुशासनहीनता :- आप अपने मन से बिना किसी के अनुमति के कभी भी कार्यालय छोड़कर चले जाते हैं। इस संबंध में आप से स्पष्टीकरण की मांग की गई है परन्तु अभी तक किसी भी पत्र का जवाब नहीं दिये हैं। अपने मन से अनुपस्थिति पंजी पर सी०एल० दर्ज करते हैं और क्रॉस उपस्थिति पंजी पर सासाराम लिख देते हैं।	आरोप सं० 03 अनुशासनहीनता :- आरोपी का अपने स्पष्टीकरण में कथन है कि यह आरोप भी मनगठंत एवं बेबुनियाद है। दिनांक 06.04.2013 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से दिनांक 06.04.2013 को आकस्मिक अवकाश दिनांक 25. 04.2013 को प्रधान लिपिक से मौखिक आदेश लेकर बिक्रमगंज एवं सासाराम गया था। मुझसे कोई स्पष्टीकरण नहीं पुछा गया है और नहीं मुझे प्राप्त हुआ है। प्र०वि०पदा० बिक्रमगंज के उपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर प्र०वि०पदा०, राजपुर के द्वारा मेरा वेतन का भुगतान किया गया है। प्र०वि०पदा०—सह—उपस्थापन पदा०, बिक्रमगंज का मंतव्य है कि आरोप पूर्णतः सत्य है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आरोपी पर लगाया गया आरोप सं० 03 सत्य है।	क्रमांक 03 में लगाया गया आरोप को संचालन पदाधिकारी —सह— अपर समाहर्ता (विभागीय जॉच), रोहतास, सासाराम द्वारा तत्कालिन प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज —सह— उपस्थापन पदा० के मंतव्य के आधार पर सत्य करार दिया गया है। प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा निर्गत उपस्थिति प्रतिवेदन को भी नजरअंदाज कर दिया गया है, जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन को तत्कालिन प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज के प्रभाव में आकर दिया गया प्रतिवेदन कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगा।
4	वित्तीय अनियमितता :- आपके द्वारा मेसर्स रवि स्टेशनरी एवं ऑर्डर सप्लायर्स, बिक्रमगंज का पारित 42648. 00 जिसे अभिश्रव पंजी में दर्ज कर दिया गया है। परन्तु अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। अनु०पदा०, बिक्रमगंज के द्वारा माह फरवरी में विपत्र निकालने से संबंधित समीक्षा बैठक में आपके द्वारा 36000/- का गलत अभिश्रव का	आरोप सं० :- 04— प्रपत्र “क” में लगाया गया वित्तीय अनियमितता के संबंध में आरोपी का स्पष्टीकरण में कथन है कि रवि स्टेशनरी, बिक्रमगंज से 20842.00 रु० का अभिश्रव प्राप्त था। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज से अभिश्रव पारित होने के पश्चात् उन्हें भुगतान कर दिया गया है, जबकि आरोपी पर आरोप लगाया गया है कि	वित्तीय अनियमितता संबंधी आरोप को भी तत्कालिन प्र०वि०पदा० —सह— उपस्थापन पदा०, बिक्रमगंज के मंतव्य के आधार पर सही करार दिया गया है। दिनांक 16.12.13 को साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण (परिशिष्ट 01 पर संलग्न) किसी भी विन्दु पर जॉच नहीं कर तत्कालिन प्र०वि०पदा० जो गलत आरोप

विपत्र बनाया गया था, जिसे अनु0पदा0 महोदय के द्वारा जप्त कर लिया गया। जिला स्तर से कई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन यथा 31.03.2013 का सहायक रोकड पुस्त की छायाप्रति डी0सी0 बिल उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि की मांग आप से की जाती थी, परन्तु आपके द्वारा इसे नहीं दिया गया, जिसकी सूचना अनु0पदा0, बिक्रमगंज एवं उप समाहर्ता, स्थापना, रोहतास, सासाराम को दी गई है। प्र0वि0पदा0, राजपुर के द्वारा अपने पत्र से सूचित किया गया है कि श्री मनोज कुमार के द्वारा 136000/- का अभिश्रव अभिश्रव पंजी में अंकित किया गया है परन्तु उसका भुगतान नहीं किया गया है। इसके अति उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि उनके पास अभी नजारत का 21500/- अवशेष राशि है।	मेसर्स रवि स्टेशनरी एवं ऑर्डर सप्लायर्स, बिक्रमगंज का पारित मो0 42648.00 रुपया जिसे अभिश्रव पंजी में दर्ज कर दिया गया है, परन्तु अभी तक इसका भुगतान नहीं किया गया है। आरोपी ने अन्य आरोपों से संबंधित स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज ने अपने मंतव्य दिया है कि मेसर्स रवि स्टेशनरी, बिक्रमगंज का बकाये राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। आरोपी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पूर्णतः गलत है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजपुर के यहाँ की राशि समायोजन आरोपी द्वारा किया गया है या नहीं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर बता सकते हैं। जहाँ तक मेरे द्वारा प्राप्त किये गये अग्रिम का संबंध है इस कार्यालय का पत्रांक 1185 दिनांक 16.11.2013 तथा पत्र सं0 1320 दिनांक 19.12.2013 से स्थिति स्पष्ट हो जायेगा। श्री कुमार द्वारा अग्रिम पंजी में Interpollation एवं छेडछाड की गयी है जो स्पष्टतः वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आरोपी पर लगाया गया आरोप सं0 04 सत्य है।	लगाने वाले पदा0 है के मंतव्य के आधार पर सही करार देना कहीं तक न्यायोचित है विचारनीय है। तत्कालिन प्र0वि0पदा0, बिक्रमगंज द्वारा बरती गयी वित्तीय अनियमितता से संबंधित विस्तृत व्योरा मेरे द्वारा अपने स्पष्टीकरण दिनांक 16.12.2013 में साक्ष्य सहित संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उसको भी संचालन पदा0 द्वारा नजर अंदाज कर दिया गया। जबकि वे सरकारी राशि को व्यक्तिगत व्यवहार में खर्च करते थे। तत्कालिन प्र0वि0पदा0, बिक्रमगंज (श्री अरुण कुमार) का स्थानान्तरण बिक्रमगंज से कार्यपालक दण्डाधिकारी, अनुमंडल बक्सर के पद पर होने के पश्चात उनके एल0पी0सी0 पर 78800.00 रुपया वसूली करने के लिए अनु0पदा0, बक्सर को लिखा गया था। जिसके परिपेक्ष्य में श्री अरुण कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बक्सर द्वारा अनु0पदा0, बक्सर को दिनांक 18.02.15 को एक आवेदन दिया गया कि बकाया वेतन की राशि खाता में आने के बाद अनुमंडल नजारत में जमा कर दुँगा। उनके आवेदन दिनांक 18.02.15 को परिशिष्ट 3 पर देखा जा सकता है। लेकिन वे पैसा नहीं जमा कर श्री अरुण कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में CWJC No.- 5720/2015 दायर कर दिया गया। CWJC No.- 5720/2015 में दिनांक 01.10.2015 को पारित आदेश के आलोक में 78800.00 अनु0नजारत, बक्सर में जमा किया जो बाद में प्रखंड कार्यालय, बिक्रमगंज को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार श्री अरुण कुमार, तत्कालिन प्र0वि0पदा0 —सह— उपस्थापन पदा0, बिक्रमगंज के मंतव्य के आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप 04 को सही करार देना कहीं तक उचित है भवदीय स्वयं विचार करना चाहेंगे।
--	--	--

			मेरे स्थानान्तरण के उपरान्त मेरे द्वारा नये प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज से बकाया रहित प्रमाण पत्र मांगा गया तो मुझे बकाया रहित प्रमाण पत्र तत्कालिन प्रखंड नाजीर द्वारा प्राप्त हुआ, जिसे परिशिष्ट 05 पर देखा जा सकता है। तत्कालिन प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज पर बिहार सरकार के नाम बिक्रमगंज प्रखंड की जनता के तरफ से खुला पत्र निकाला गया, जिसमे श्री अरुण कुमार, प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज पर रिश्त लेने एवं खाता सं०— 10303503972 एवं 32710864762 में रिश्त की राशि जमा करने की बात है। जिसके क्रम में अपर समाहर्ता (वि०जॉच) रोहतास, सासाराम द्वारा अपने पत्रांक 200 दिनांक 03.03.14 द्वारा अनु०पदा०, बिक्रमगंज एवं पत्रांक 735, दिनांक 26.05.14 द्वारा शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक, बिक्रमगंज से क्रमशः जॉच एवं खाता विवरणी की मांग की गई। जिसे क्रमशः परिशिष्ट 06 पर एवं परिशिष्ट 07 पर संलग्न किया जाना है। अनु०पदा०, बिक्रमगंज के जॉच प्रतिवेदन के संबंध में कोई जानकारी नहीं है लेकिन स्टेट बैंक, बिक्रमगंज द्वारा निर्गत खाता सं०— 10303503972 एवं 32710864762 की विवरणी निर्गत की गयी जिसे परिशिष्ट 08 एवं परिशिष्ट 09 पर देखा जा सकता है। उपरोक्त स्थिति में स्वतः स्पष्ट है कि श्री अरुण कुमार सिंह, तत्कालिन प्र०वि०पदा०, बिक्रमगंज द्वारा सरकारी राशि में अनियमितता बरती जाती थी और वे एक रिश्तखोर एवं घुसखोर पदा० थे, फिर भी संचालन पदा० उनके मंतव्य को आधार मानकर उनके आरोप को कैसे सत्य करार दिया गया। यह उच्च स्तरीय गहन जॉच का विषय है। साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण परिशिष्ट 01 पर संलग्न है।
5	आदेश की अवहेलना :- आपके द्वारा नजारत का कार्य सुचारु रूप से नहीं होने के कारण श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक को नजारत का प्रभार सौंपने	आरोप सं० —05 आदेश की अवहेलना :- आरोपी का अपने स्पष्टीकरण में कथन है कि आरोप निराधार, बेबुनियाद एवं मनगढ़ंत	आरोप 05 के क्रम में मेरे द्वारा साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण दिनांक 16.12.13 को संचालन पदा० को समर्पित किया जा चुका है। जो

	हेतु जनवरी 13 में आदेश दिया गया था तथा इस कार्य हेतु अनेको स्मार दिया गया परन्तु आपके द्वारा नजारत का सम्पूर्ण प्रभार श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक को नहीं दिया गया। इसके कारण कई प्रतिवेदन अभी तक भेजा नहीं जा सका है और कार्य करने में कठिनाई हो रही है। इस तरह आपका कृत्य बिहार सरकारी सेवा आचरण नियमावली 1976 के नियम 3(1) का (i),(ii),(iii) का उलंघन है।	है। चेकबुक, चेंकपंजी एवं नजारत से लिये गये अग्रिम को प्र0वि0पदा0, बिक्रमगंज द्वारा नहीं लौटाये जाने के कारण न तो 14.02.2013 के बाद रोकड बही लिखा सका न तो किसी तरह का नजारत का प्रभार श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक को मेरे द्वारा दिलाया गया है। दिनांक 26.04.2013 से 23.05.2013 तक अवकाश में था और दिनांक 24.05.2013 को पुनः योगदान दिया। नजारत का प्रभार दिलाने के लिए दबाव बनाये जाने लगा ताकि नजारत से लिये गये अग्रिम को हडपा जाय। इस आशय की विस्तृत सूचना अपने आवेदन के माध्यम से अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी को साक्ष्य सहित दी जा चुकी है। साथ-ही मौखिक रूप से श्री रामेश्वर सिंह द्वारा नजारत का प्रभार नहीं लेने की बात प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बिक्रमगंज के समक्ष अनेको बार मौखिक भी सूचित की जाती थी। प्र0वि0पदा0-सह-उपस्थापन पदा0, बिक्रमगंज ने अपने मंतव्य में लिखा है कि आदेश की अवहेलना आरोपी द्वारा किया गया है। यह सत्य है। नजारत का प्रभार इनके द्वारा अनकों पत्र देने के बाद भी नहीं दिया गया। अन्ततः इनके द्वारा नियंत्री पदाधिकारी के साथ मार-पीट कर फरार हाने के पश्चात् इन्भेन्ट्री के माध्यम से श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक को नजारत का प्रभार दिलाया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिक्रमगंज ने अपने मंतव्य में लिखा है कि आरोपी के द्वारा दिनांक 14.02.2013 के बाद रोकड पंजी को अद्यतन नहीं किया गया है और न ही रोकड पंजी का "डिटेल्स" निकाला गया है, जिससे रोकड पंजी की स्थिति स्पष्ट हो सके। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आरोपी पर लगाया गया आरोप सं0 05 सत्य है।	परिशिष्ट 01 पर संलग्न है। विस्तृत प्रतिवेदन क्रमांक 04 के आरोप के आलोक में मेरे द्वारा उपर दिया जा चुका है। फिर भी संचालन पदा0 द्वारा तत्कालिन प्र0वि0पदा0, बिक्रमगंज -सह-उपस्थापन पदा0 के मंतव्य के आधार पर कैसे सत्य करार दिया गया है, जबकि यह न्यायालय में निर्णयाधीन है और मेरे द्वारा दायर किया गया मुकदमा भी न्यायालय के निर्णयाधीन है। परिशिष्ट 01 पर संलग्न साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण दिनांक 16.12.13 से स्थिति स्वतः स्पष्ट हो जाएगी। न्यायहित में भवदीय द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन की गहन जाँच करने की अनुरोध पूर्वक मुझे अपेक्षा है।
6	नाम मे अन्तर :- पूर्व में पत्राचार के क्रम में लिपिकीय भूल से कहीं श्री मनोज कुमार, प्रखण्ड नाजीर, बिक्रमगंज एवं कहीं श्री मनोज कुमार सिंह, नाजीर प्रखण्ड कार्यालय, बिक्रमगंज अंकित हो गया है। वास्तव में इनका नाम मनोज कुमार है।	आरोप सं0 06 :- नाम में अंतर :- आरोपी पर प्रपत्र "क" में लगाया गया आरोप में यह उल्लेख किया गया है कि पूर्व में पत्राचार के क्रम में लिपिकीय भूल से कहीं मनोज कुमार, प्रखण्ड नाजीर, बिक्रमगंज एव कहीं श्री मनोज कुमार सिंह,	आरोप 06 के क्रम में मेरे द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक 16.12.13 को दिया जा चुका है। जो परिशिष्ट 01 पर संलग्न है। बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र सं0- 12127, दिनांक 17.07.1979 के द्वारा

		नाजिर प्रखंड कार्यालय, बिक्रमगंज अंकित हो गया है। वास्तव में इनका नाम श्री मनोज कुमार है। आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण में कथन है कि मेरा नाम मनोज कुमार है। इस प्रकार आरोपी पर लगाया गया आरोप असत्य है।	विभागीय कार्यवाही सम्पन्न करने की अवधि 90 दिन निर्धारित की गयी है, लेकिन इस विभागीय कार्यवाही को संचालन पदा0 द्वारा लगभग 05 वर्ष का समय लगाया गया है। जो चिन्ता का विषय है। परिणामस्वरूप मैं 05 वर्षों से मानसिक तनाव में रह रहा हूँ, जिसका सीधे कुप्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।
7	प्रखण्ड कार्यालय, राजपुर से संबंधी आरोप का विवरण :-वित्तीय अनियमितता :- आपके द्वारा 15 अगस्त 2012 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुधा मिष्ठान भंडार, राजपुर से 15000/- रुपये के मंगाये गये मिठाई के पैकेट का अभिश्रव दिया गया तथा अभिश्रव के राशि की राशि की निकासी आपके द्वारा कर ली गई है, परन्तु भुगतान नहीं किया गया है। उक्त राशि को ज्ञापांक 160/ दिनांक 14.02.2013 से प्रखण्ड नजारत में जमा करने का आदेश के बावजूद पैसा जमा नहीं किया गया है। यह क्रिया आदेश अवहेलना एवं वित्तीय अनियमितता को प्रदर्शित करता है।	आरोप सं0-7 वित्तीय अनियमितता:- प्रखण्ड कार्यालय राजपुर से संबंधित आरोप :- आरोपी का स्पष्टीकरण में कथन है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजपुर के पत्रांक 160 दिनांक 14.02.2013 एवं 177 दिनांक 20.02.2013 के क्र मे मैं अपने आवेदन पत्र दिनांक 20.02.2013 से स्पष्ट कर दिया है कि 15 अगस्त 2012 के अवसर पर मिठाई का पैकेट सुधा मिष्ठान भण्डार, राजपुर से 15000.00 के मंगाये गये मिठाई के पैकेट का अभिश्रव प्राप्त नहीं है और नहीं अभिश्रव पंजी में दर्ज किया गया है और नहीं अभिश्रव पंजी में दर्ज किया गया है और नहीं इस प्रकार का अभिश्रव दिया गया है। मुझे इसका अभिश्रव अप्राप्त था। उक्त राशि के विरुद्ध प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राजपुर द्वारा मुझे सुधा मिष्ठान भंडार, राजपुर का 10000.00 (दस हजार) अभिश्रव दिया गया जिसपर पावती रसीद प्राप्त था। तत्पश्चात् 10000 (दस हजार) रू0 का अभिश्रव लेकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजपुर के नाजिर के समक्ष दे दिया गया था। शेष 20000.00(बीस हजार) रू0 मेरे द्वारा अन्य पारित अभिश्रव में समायोजित कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपी द्वारा 15 अगस्त 2012 को सुधा मिष्ठान भंडार, राजपुर से 15000.00 रुपये के मंगाये गये मिठाई के पैकेट का अभिश्रव दिया गया तथा राशि की निकासी आरोपी के द्वारा कर ली गई, परन्तु भुगतान नहीं किया गया। उक्त राशि को प्रखण्ड नजारत में जमा करने का आदेश देने के बाद भी पैसा जमा नहीं करना, आदेश अवहेलना एवं वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। आरोपी	आरोप 07 के क्रम में मेरे द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 16.12.13 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है, जो परिशिष्ट 01 पर अनुलग्नक सहित संलग्न है। प्र0वि0पदा0, राजपुर द्वारा निर्गत अंतिम वेतन प्रमाण पत्र एवं तत्कालिन प्रखंड नाजीर, राजपुर द्वारा बकाया रहित प्रमाण पत्र के अनुसार मुझ पर कोई बकाया राशि नहीं है। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को कैसे सत्य करार दिया गया है भवदीय के स्तर से विचारणिय योग्य है। सुलभ संकेत हेतु प्र0वि0पदा0, राजपुर द्वारा निर्गत अंतिम वेतन प्रमाण पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट 10 पर एवं बकाया रहित प्रमाण पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट 11 पर संलग्न है। श्री अरुण कुमार, तत्कालिन प्र0वि0पदा0, बिक्रमगंज को फर्जीवाड़ा करने की महारथ हासिल थी। प्रमाण स्वरूप सरकारी गाड़ी की लॉग बुक की छाया प्रति परिशिष्ट 12 पर संलग्न की जाती है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि वे दिनांक 31.08.12 से 03.09.12 तक वे मुजफ्फरपुर में थे जबकि उनके द्वारा प्र0कार्या0, बिक्रमगंज में 01.09.2012 की तिथि में पत्रांक 1320, दिनांक 01.09.12 पर हस्ताक्षर किया गया है एवं मो0 उमर खॉ, लिपिक के आवेदन दिनांक 01.09.12 के उपरान्त में 01.09.12 की तिथि में हस्ताक्षर किया गया है ऐसी स्थिति में वे गहन जाँच का विषय है कि प्र0वि0पदा0, बिक्रमगंज 01.09.2012 को मुजफ्फरपुर में थे कि प्र0कार्या0, बिक्रमगंज में स्पष्ट है कि उनके

		पर लगाया गया आरोप सत्य है। मंतव्य :- आरोपी श्री मनोज कुमार, लिपिक प्रखण्ड कार्यालय, राजपुर प्रतिनियुक्त प्रखण्ड कार्यालय, बिक्रमगंज पर गठित आरोप "प्रपत्र क" में लगाया गया आरोप सं० 01 से 07 तक (06 को छोड़कर) सत्य पाया गया।	द्वारा धोखाधड़ी और जालसाजी सरकारी अभिलेख में भी किया जाता था। उक्त दोनों पत्रों को परिशिष्ट 13 एवं 14 पर संलग्न की जाती है।
--	--	--	---

आरोपी कर्म के विरुद्ध संचालन पदाधिकारी-सह- अपर समाहर्ता का अधिगम/अभिमत एवं आरोपी कर्म द्वारा समर्पित कारण पृच्छा से स्पष्ट है कि आरोप की प्रकृति गंभीर है। द्वितीय कारण पृच्छा में आरोपी कर्म ने कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। आरोप संख्या 01, 03 एवं 05 गंभीर अनुशासनहीनता एवं आरोप संख्या- 04 एवं 07 वित्तीय अनियमितता है। अभिश्रव का Unposted Voucher Register में दर्ज करने के बाद भुगतान नहीं करना संबंधित राशि का गबन माना जायेगा। क्योंकि रोकड़ पंजी के संवरण शेष Closing Balance एवं संवरण विवरणी Closing Break up में यह राशि Single Lock की राशि से घट जाती है।

अन्य आरोप भी गंभीर अनुशासनहीनता एवं सरकारी कर्म के आचरण के प्रतिकूल है जो सत्य पाया गया है।

निष्कर्ष :-

आरोपित के विरुद्ध गठित आरोप, आरोपी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, संचालन पदाधिकारी का अधिगमन तथा आरोपित के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा में दुहराये गये असंतोषप्रद, तथ्यहीन एवं आधारहीन तर्क के अवलोकनोपरान्त वित्तीय अनियमितता के साथ गंभीर अनुशासनहीनता का आरोप सत्य प्रमाणित हुआ। श्री मनोज कुमार, तत्कालिन लिपिक प्रखंड कार्यालय, राजपुर प्रतिनियुक्त प्रखंड कार्यालय, बिक्रमगंज सम्प्रति प्रखंड कार्यालय, रोहतास के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के समेकित विवेचना करने पर परिलक्षित होता है कि इनके विरुद्ध वृहद शास्तियाँ अधिरोपित की जाय।

अतः मैं धर्मेन्द्र कुमार, भा०प्र०से०, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्ता, रोहतास, सासाराम बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 भाग-05 यथा संशोधित- 2007 के नियम 14 (xi) में निहित शक्तियों के आलोक में श्री मनोज कुमार, तत्कालिन लिपिक प्रखंड कार्यालय, राजपुर प्रतिनियुक्त प्रखंड कार्यालय, बिक्रमगंज सम्प्रति प्रखंड कार्यालय, रोहतास को आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से **बर्खास्त (Dismiss)** करने का दण्ड अधिरोपित करता हूँ। जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी। इस आशय की प्रविष्टि श्री मनोज कुमार के सेवा पुस्त में लाल सियाही से अंकित की जायेगी। साथ ही विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

श्री मनोज कुमार, तत्कालिन लिपिक प्रखंड कार्यालय, राजपुर प्रतिनियुक्त प्रखंड कार्यालय, बिक्रमगंज सम्प्रति प्रखंड कार्यालय, रोहतास से संबंधित पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है :-

1. नाम	:-	श्री मनोज कुमार
2. पिता का नाम	:-	श्री रामेश्वर सिंह
3. पदनाम	:-	लिपिक
4. जन्म तिथि	:-	01.03.1978
5. नियुक्ति की तिथि	:-	22.06.2004
6. कार्यालय का नाम	:-	प्रखंड कार्यालय, रोहतास
7. वेतनमान	:-	वेतनमान 25500-81100 मूल वेतन- 41000/-
8. स्थायी पता	:-	ग्राम+पो0+थाना-संझौली, जिला- रोहतास (बिहार)

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, जिला पदाधिकारी।

Home Department (Police Branch)

NOTIFICATION The 29th October 2021

No. 7/CCA-1026/2001 H(P)/8605--Consequent upon joining as the Seniormost Judge of Patna High Court, Hon'ble Mr. Justice Rajan Gupta has been nominated by Hon'ble the Chief Justice of Patna High Court as Chairman of the Advisory Board in place of Hon'ble Mr. Justice Ashwani Kumar Singh, as such it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :-

1. Bihar Control of Crimes Act, 1981
2. National Security Act, 1980
3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and

4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to re-constitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

Hon'ble Mr. Justice **Rajan Gupta**

Chairman

Hon'ble Justice **Smt. Rekha Kumari** (Retired.)

Member

Hon'ble Mr. Justice **Gopal Prasad** (Retired.)

Member

The re-constitution will come into effect with the issue of the notification

By the order of the Governor of Bihar,
Girish Mohan Thakur, Under Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 31—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,
अधिसूचनाएं और नियम आदि।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

शुद्धि पत्र

26 अक्तूबर 2021

सं० 6/प्रो०-06-01/2015-2188—द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) संबंधी वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या-2098 दिनांक 08.10.2021 के क्रमांक 01 में अंकित “श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह” के स्थान पर “श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह” शुद्ध रूप में पढ़ा जाय।
शेष यथावत् रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 31—571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>